

मुख्यालय

पुलिस

महानिदेशक

उत्तर प्रदेश

टावर-1 चतुर्थ तल, सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226002

संख्या:अट्टारह-एसआई(लिपिक)271-2023

दिनांक:लखनऊ:मई/13,2024

**आदेश**

उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली-2015 (यथा-संशोधित) में निहित निर्देशों के अर्न्तगत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) से पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) के पद पर पदोन्नति हेतु भर्ती बोर्ड स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति की संस्तुति अध्यक्ष, उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्या: UPPRPB-PROM04000(4002)/1/2023-PROM-SEC दिनांक:01.01.2024 द्वारा इस मुख्यालय को उपलब्ध कराई गयी है, जिसमें 58 कार्मिकों को पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) से पुलिस उप निरीक्षक(लिपिक) के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाया गया है, जिसे पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। उपयुक्त पाये गये 58 कार्मिकों के सापेक्ष दिनांक: 29.02.2024 तक पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) की विद्यमान 48 रिक्तियों के सापेक्ष 48 पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) को तत्कालिक प्रभाव से इनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुये यह अंकित किया गया है कि शेष बच रहे 10 चयनित कार्मिकों का पदोन्नति आदेश माह मार्च 2024 से माह जून-2024 तक होने वाली पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) की रिक्तियों के सापेक्ष किया जायेगा।

2. दिनांक: 31.03.2024 को पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) के 04 कर्मियों तथा दिनांक 30.04.2024 के 01 कर्मी के अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने के दृष्टिगत वर्तमान में पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) के पद की 05 रिक्तियां विद्यमान हैं। आदर्श आचार संहिता के दौरान पदोन्नति आदेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० शासन, कार्मिक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या:4/2024/417/सैंतालीस-का-1-2024-13(2)/2024 दिनांक 10.05.2024 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अध्यक्ष उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी विभागीय चयन समिति की सूची के क्रमांक-49, 50, 51, 53 एवं 54 पर अंकित कर्मी को तत्कालिक प्रभाव से इनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	वरिष्ठता क्रमांक	पीएनओ	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	वर्तमान नियुक्ति	चयन वर्ष
49	182	022760047	मुनेन्द्र कुमार मौर्य	स्व० राम दयाल राम	01-07-1971	ए०पी०टी०एस मीरजापुर	2023
50	191	020280013	विजय कुमार	स्व० श्री विक्रमा राम	15-05-1975	मीरजापुर	2023
51	194	022410056	विकास कुमार पाण्डेय	स्व० राम किंकर पाण्डेय	01-07-1982	उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ	2023
53	196	022290045	शेखर प्रताप सिंह	स्व० देवेन्द्र कुमार	17-10-1980	आगरा/मण्डलाधिकारी कार्यालय आगरा	2023
54	197	022830021	संजय सिंह	स्व० हमीर सिंह	01-12-1982	कमिश्नरेट कानपुर नगर	2023

3. पदोन्नति प्राप्त उपरोक्त पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) अपने नियुक्ति स्थान जनपद/इकाई/शाखा पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। उक्त कार्मिकों के परिवीक्षा काल हेतु उ०प्र० पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली-2015 (यथा संशोधित) में अंकित प्राविधान के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित होगी।

ASI (LIPIK) TO SI (LIPIK) PROMOTION ORDER 2023

५

4. पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या:13/21/89-का-1-1997 दिनांक: 28.05.1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियाँ:-

- (क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,
- (ख) यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप-पत्र जारी किया जा चुका है।
- (ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। उपरोक्त तीनों परिस्थितियाँ सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) के विरुद्ध विद्यमान न हों।

5. यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं हैं तो सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) को पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान पायी जाती है तो सम्बन्धित कर्मी के पदोन्नति के आदेश का क्रियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या इस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा-निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

6. यदि सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित संबंधित कर्मी को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख इस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

7. आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाईट <http://uppolice.gov.in> पर प्रदर्शित की जा रही है।

संलग्नक: प्रारूप (क)

413/5  
( प्रभाकर चौधरी )  
पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
- 2-अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3-अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी।
- 4-पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट कानपुर नगर।
- 5-पुलिस महानिरीक्षक, मीरजापुर परिक्षेत्र, मीरजापुर।
- 6-पुलिस उप महानिरीक्षक, ए0पी0टी0एस0 मीरजापुर।
- 7-पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर।

## स्वघोषणा-पत्र

मैं शपथकर्ता (नाम/पदनाम व पीएनओ)-----पुत्र

-----निवासी-----थाना-----जनपद-----

वर्तमान में(जनपद/इकाई)-----नियुक्त हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि:-

- (1) मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है और न ही कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।
- (2) मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई-----में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक:-----को आरोप-पत्र दिया गया है।
- (3) मेरे विरुद्ध मु0अ0सं0-----धारा-----थाना-----जनपद-----में लम्बित है, जिसमें दिनांक:-----को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी-----द्वारा आरोप-पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में-----स्तर पर चल रहा है।

2- मेरे द्वारा प्रस्तुत घोषणा-पत्र में अंकित तथ्य यदि असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

नाम/पदनाम/पीएनओ  
नियुक्त स्थान-  
दिनांक:-

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/पदनाम की मुहर

नोट-स्वघोषणा-पत्र के प्रस्तर-1 के उपप्रस्तर-(1), (2) व (3) में से जो लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (x) दिया जाय।